प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला..... **भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली,** .....थाना.....**प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर**... वर्ष ...**2022**....
   प्र. इ. रि. स. ....371/2022 दिनांक ....20/9/2022..........
2. (अ) अधिनियम ....**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)** ...धारायें...**7 , 7 ए**.....
   (ब) अधिनियम ....धारायें..............**120 बी भा.द.स.** ....
   (स) अधिनियम ....धारायें..........................
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....376.....समय..........6:00 P.M.,
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–..................**सोमवार/19.09.2022 /01:55 पी.एम.** ....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .... समय. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – ....**लिखित** ....
5. घटनास्थल :– ....**श्री रमेश मीना की दुकान, नाहर धाटी, फैलीपुरा–कोटरी, पालनपुर रोड** ....
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – ....**बजानिव दिशा उत्तर, दूरी करीब 30 कि.मी.**...............
   (ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं..........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना................जिला..........................
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम ....**श्री घनश्याम** ....
   (ब) पिता /पति का नाम ....**श्री जमना**.........जाति ....**मीना**.....(स) जन्म तिथि/वर्ष......**35 वर्ष** ....
   (द) राष्ट्रीयता.........**भारतीय** ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी................जारी होने की जगह..........................
   (र) व्यवसाय..........................
   (ल) पता........... **निवासी ग्राम जेबर सांकड़ा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली**..........................
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1. **राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह, जाति गुर्जर, उम्र 41 वर्ष, निवासी बडागांव, पुलिस थाना सलेमपुर, तहसील महवा, जिला दौसा, वनरक्षक वनपाल नाका फैली का पुरा (हिण्डौन) हाल वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज मण्डरायल जिला करौली।**
   2. **सिकन्दर सिंह सेजवाल पुत्र श्री किशन सिंह, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम वनवारीपुर पोस्ट श्री महावीरजी, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली हाल वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड)।**
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–..........**कोई नही**..........................
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....**22,000/–रूपये रिश्वत राशि** ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).......
    ....**22,000/–रूपये रिश्वत राशि** ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....**नहीं**..................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)...................

सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, A.C.B. करौली। विषय– वन विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरे पास LNT मशीन है, जिसे मैं खेतो की डोर बन्दी में चलाता हूं। मेरी मशीन को चलाने के लिए व परेशान नही करने के लिए वन विभाग के कर्मचारी फोरेस्टर गार्ड राजेन्द्र, सिकन्दर व विजेन्द्र तीनो मिलकर हर महिने 15000 रूपये महिने की बंधी मांगते है। मेरे से करीब 15 दिन पहले फोरेस्टर गार्ड राजेन्द्र ने 10000 रूपये ले लिये। अब 5000 रूपये और मांग रहा है। मेरे चाचा के लड़के बबलेश के भी दो ट्रेक्टर मिट्टी में चलते है। इससे भी तीनो फोरेस्टर गार्ड 9000 रूपये मांग रहे है। हमारे गांव के गुड्डू ने ट्रेक्टर को नही रोका तो फोरेस्टर गार्ड राजेन्द्र ने मेरे से कहा कि तूम्हारे गांव का गुड्डू ट्रेक्टर को भगाकर ले गया हम उसके ट्रेक्टर को बन्द करेगे। मैने राजेन्द्र से कहा कि मैं तूम्हे खर्चा पानी दिलवा दूंगा तो राजेन्द्र ने 10000 रूपये देने को कहा। हम वन विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत नही देना चाहते है और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहते है। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नही है और उधार का कोई लेन–देन बकाया नही है। वन विभाग के भ्रष्ट तीनो फोरेस्टर गार्ड राजेन्द्र, सिकन्दर व विजेन्द्र के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर 01/08/2022 घनश्याम S/O जमना, उम्र 35 वर्ष, जाति मीना, निवासी जेबर (सांकड़ा) तहसील

हिण्डौन सिटी, जिला करौली, मो.नं. 9929682676, हस्ताक्षर बबलेश मीना S/O राजन, जाति मीना, उम्र 39 वर्ष, निवासी जेबर सांकड़ा तहसील हिण्डौन 8890330462 ता. 1–8–22

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 01.08.2022 समय 08:20 ए.एम. भ्र.नि.ब्यूरो चौकी करौली

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री घनश्याम S/Oजमना, उम्र 35 वर्ष, जाति मीना, निवासी जेबर (सांकड़ा) तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली एवं सहपरिवादी बबलेश मीना S/Oराजन, जाति मीना, उम्र 39 वर्ष, निवासी जेबर सांकड़ा तहसील हिण्डौन ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट वन विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. करौली के पदनाम से सम्बोधित कर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश की। उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री घनश्याम से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वयं के व सहपरिवादी श्री बबलेश मीना के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताते हुए लिखित रिपोर्ट में लिखित हुई बाते बताई। सहपरिवादी श्री बबलेश मीना ने भी परिवादी के कथनो की ताईद की। परिवादी श्री घनश्याम व सहपरिवादी श्री बबलेश मीना ने बताया कि गुड्डू कोई काम में व्यस्त था दोपहर तक वो भी आपके पास आ जायेगा। अभी हमें फोरेस्टर गार्ड राजेन्द्र, सिकन्दर और विजेन्द्र तीनों हिण्डौन वाईपास पर मिल जायेगे और वहीं पर हमसे रिश्वत मांगने व लेन–देन की बात कर लेगे। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु समय 09:00 ए.एम. पर कार्यालय की आलमारी से विभागीय वॉईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) को निकालकर परिवादी व सहपरिवादी को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। वाईस रिकार्डर को कम्प्यूटर से अटैच कर खाली करवाकर बन्द हालत में श्री केशव देव कानि. 600 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी व सहपरिवादी के आरोपीगण के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होने के बाद परिवादी के वापिस आने पर वॉईस रिकार्डर इनसे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 09:15 ए.एम. पर परिवादी श्री घनश्याम व सहपरिवादी श्री बबलेश मीना को परिवादीगण की निजि मोटर साईकिल से तथा श्री केशव देव कानि. को सरकारी मोटर साईकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु बाद हिदायत हिण्डौन सिटी के लिए रवाना किया गया। समय 01:10 पी.एम. पर बाद रिश्वत मांग सत्यापन के श्री केशव देव कानि. व परिवादी श्री घनश्याम उपस्थित कार्यालय आये व परिवादी ने बताया कि मैं और बबलेश मीना तथा आपका कर्मचारी केशव आपके कार्यालय से रवाना होकर फूलवाड़ा स्कूल के सामने पहुंचे जहां मैने अपने मोबाईल से फोरेस्टर गार्ड राजेन्द्र के मोबाईल पर कॉल किया तो राजेन्द्र ने फोन नही उठाया। बबलेश ने अपने फोन से फोरेस्टर गार्ड विजेन्द्र के मोबाईल पर फोन किया तो विजेन्द्र ने फोन उठाकर महुआ होना बताया तथा फोन काट दिया। फिर हम वहां से रवाना होकर हिण्डौन वाईपास पर पहुंचे जहां मैने अपने फोन का लाउड स्पीकर खोलकर फोरेस्टर गार्ड सिकन्दर के मोबाईल पर फोन किया तो सिकन्दर ने मेरे से रिश्वत मांगने व लेने के सम्बन्ध में बात की और 10 मिनट में सिकरोदा फाटक के पास मिलने की कहां। मोबाईल पर हुई इस वार्ता को केशव ने वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर रिकार्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया। फिर केशव ने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर मेरे गले में काले धागे से वाईस रिकार्डर लटका दिया और मुझे व बबलेश को सिकन्दर से रिश्वत मांग की बात करने के लिए रवाना कर दिया व खुद वही पर मोटर साईकिल सहित रूक गये। हम दोनो मोटर साईकिल से रवाना होकर सिकरोदा फाटक के पास पहुंचे जहां पर कुछ देर बाद सिकन्दर आया और साईड में ले जाकर हमसे L N T मशीन और ट्रेक्टर चलाने के सम्बन्ध में बात की और मेरे कहने पर अपने मोबाईल से फोरेस्टर गार्ड राजेन्द्र के मोबाईल पर कॉल कर लाउड स्पीकर खोलकर रिश्वत की बात की, मैने व बबलेश ने भी सिकन्दर के मोबाईल से ही लाउड स्पीकर पर राजेन्द्र से बात की। फोरेस्टर गार्ड राजेन्द्र व सिकन्दर ने मेरी L N T मशीन के शेष 5000 रूपये व बबलेश के ट्रेक्टरो के 9000 रूपये मांगे जिस पर मेरे कहने पर बबलेश के ट्रेक्टरो के 8000 रूपये लेने पर सहमत हो गया तथा मैने हमारे गांव के गुड्डू द्वारा टेक्टर भगाने के उनको 10,000 रूपये देने की कहा। फोरेस्टर गार्ड सिकन्दर को मेरी L N T मशीन की शेष मासिक बंधी 5000 रूपये में

से 1000 रूपये दे दिये। हम कल रूपये देने की कहकर उसके पास से रवाना होकर मोटर साईकिल से हिण्डौन वाईपास से आगे गणेशम रिसोर्ट के सामने पहुंचे जहां पर हमे केशव देव कानि. मिल गया जिसने हमसे वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया और रिश्वत मांग के सम्बन्ध में हुई वार्ता के बारे में केशव देव कानि. को बताई। फिर मैं व केशव देव कानि. वहां से आपक ऑफिस में आ गये। बबलेश मीना हमारे गांव के गुड्डू को साथ लेने व रूपयों का इन्तजाम करके आपकी ऑफिस में आ रहे है। इस पर श्री केशव देव कानि. ने परिवादी के कथनो की ताईद की व वाईस रिकार्डर अपने पास सुरक्षित रखा होना बताया। समय 01:30 पी.एम. पर श्री केशव देव कानि. ने मांगने पर वाईस रिकार्डर बन्द हालत में पेश किया, जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड परिवादी व आरोपी सिकन्दर के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा परिवादीगण व आरोपीगण की आमने–सामने व मोबाईल पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो आरोपीगण द्वारा रिश्वत की मांग कर दिनांक 02.08.2022 को रिश्वत लेन–देन तय हुआ है। समय 02:50 पी.एम. पर सहपरिवादी श्री बबलेश मीना मय श्री गुड्डू के उपस्थित कार्यालय आया। सहपरिवादी श्री बबलेश ने पूछने पर रिश्वत मांग के सम्बन्ध में हुई बातें बताते हुए परिवादी के कथनो की ताईद की तथा बताया कि मैं रूपयो का इन्तजाम करने व गुड्डू को लेने चला गया था। सहपरिवादी के साथ आये हुए श्री गुड्डू ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम दिनेश पुत्र श्री भौरया मीना निवासी जेबर (सांकड़ा) तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली है मुझे गुड्डू ही कहते है। वन विभाग के फोरेस्टर गार्ड राजेन्द्र, सिकन्दर व विजेन्द्र ट्रेक्टर व जे.सी.बी. वालो को परेशान कर रूपये वसूलते है। इन तीनो ने भी मेरे ट्रेक्टर को बन्द करने की धमकी दी थी व घनश्याम से मेरे ट्रेक्टर को बन्द नही करने के 10,000 रूपये मांग रहे है। मैं गरीब आदमी हूं। मैं ऐसे कर्मचारियों को रिश्वत नही देना चाहता हूं। फोरेस्टर गार्ड मेरे से बात नही कर रहे है। वो मेरे रूपये घनश्याम से ही लेगे। समय 03:00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करौली के पदनाम से तहरीर जारी कर गवाहान हमराह लाने हेतु श्री श्याम सिंह कानि. 599 को कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करौली के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया जो समय 03:30 पी.एम. पर अपने साथ दो स्वतंत्र गवाह श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक एवं श्री ओमप्रकाश जाटव को लेकर आया जिनको कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुए दिनांक 02.08.2022 को समय 10:00 ए.एम. पर कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया। समय 04:00 पी.एम. पर परिवादी श्री घनश्याम व सहपरिवादी श्री बबलेश मीना की उपस्थिति में वाईस रिकार्डर को कार्यालय में स्थापित सरकारी कम्प्यूटर (acer कम्पनी) में कनेक्ट करवा कर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड मोबाईल वार्ता एवं वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर की मदद से उक्त दोनो वार्ताओ की 4 DVD (SONY कम्पनी) क्रमश–मूल प्रति, दो मुल्जिम प्रति एवं आई.ओ. प्रति तैयार करमार्क "A" अंकित कर DVD पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर डेस्कटॉप पर सेव उक्त दोनो रिकार्ड वार्ताओ को परिवादी व सहपरिवादी की उपस्थिति में टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी श्री घनश्याम व सहपरिवादी श्री बबलेश एवं आरोपीगण फोरेस्टर गार्ड सिकन्दर व राजेन्द्र के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.08.2022 की गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री घनश्याम व सहपरिवादी श्री बबलेश से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा मूल व दोनो मुल्जिम प्रति DVD को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लियागया एवं आई.ओ. प्रति DVD को कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर खुला रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट तथा मुताबिक फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.08.2022 से फोरेस्टर गार्ड सिकन्दर व राजेन्द्र द्वारा परिवादी घनश्याम की L N T मशीन की महिने की बंधी के शेष 5000 रूपये, सहपरिवादी बबलेश के ट्रेक्टरो के 8000 रूपये एवं गुड्डू द्वारा भगाये गये ट्रेक्टर पर कार्यवाही नही करने के 10,000 रूपये कुल 23,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना स्पष्ट हो चुका है। वक्त सत्यापन परिवादी श्री घनश्याम से आरोपी फोरेस्टर गार्ड सिकन्दर द्वारा 1000 रूपये प्राप्त लिये है। परिवादीगण व आरोपीगण के मध्य रिश्वत लेन–देन होना दिनांक 02.08.2022 को तय

हुआ है। समय 11:50 पी.एम. पर एक मूल व दो मुल्जिम प्रति शील्ड कुल 3 DVD मार्क A को जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी श्री घनश्याम ने पूछने पर बताया कि हम तीनो के 22000 रूपये मेरे पास रखे हुए है। रात्रि का समय होने के कारण परिवादी श्री घनश्याम एवं सहपरिवादी श्री बबलेश व गुड्डू को कार्यालय में ही रोका गया। दिनांक 02.08.2022 को समय 10:00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक एवं श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री घनश्याम एवं सहपरिवादी श्री बबलेश व गुड्डू से आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पढने को दी गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किये एवं स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया गया। समय 11:00 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं सहपरिवादी बबलेश व दिनेश उर्फ गुड्डू के सामने परिवादी श्री घनश्याम ने मांगने पर आरोपीगण फोरेस्टर गार्ड सिकन्दर व अन्य को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 44 नोट कुल 22,000/-रूपये अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

कम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	5 WN 350669
2	एक नोट 500 रूपये का	5 SV 026846
3	एक नोट 500 रूपये का	2 PM 332604
4	एक नोट 500 रूपये का	9 BS 751749
5	एक नोट 500 रूपये का	0 BA 896414
6	एक नोट 500 रूपये का	7 BM 827389
7	एक नोट 500 रूपये का	3 FU 521237
8	एक नोट 500 रूपये का	7 ED 771112
9	एक नोट 500 रूपये का	3 NS 937097
10	एक नोट 500 रूपये का	3 SQ 154652
11	एक नोट 500 रूपये का	8 DV 896332
12	एक नोट 500 रूपये का	9 VG 735513
13	एक नोट 500 रूपये का	5 AE 465147
14	एक नोट 500 रूपये का	6 NN 567040
15	एक नोट 500 रूपये का	5 NN 454710
16	एक नोट 500 रूपये का	2 EF 874016
17	एक नोट 500 रूपये का	8 GW 565280
18	एक नोट 500 रूपये का	2 FS 726155
19	एक नोट 500 रूपये का	3 RC 075063
20	एक नोट 500 रूपये का	9 TR 342291
21	एक नोट 500 रूपये का	0 QA 923048
22	एक नोट 500 रूपये का	8 PS 333325
23	एक नोट 500 रूपये का	2 TQ 407325
24	एक नोट 500 रूपये का	9 AE 693595
25.	एक नोट 500 रूपये का	0 CC 647974
26.	एक नोट 500 रूपये का	1 GB 762302
27.	एक नोट 500 रूपये का	2 CL 556909
28.	एक नोट 500 रूपये का	2 LK 302734
29.	एक नोट 500 रूपये का	8 GA 744850
30.	एक नोट 500 रूपये का	9 VW 322877
31.	एक नोट 500 रूपये का	8 BL 362718
32.	एक नोट 500 रूपये का	1 KE 141715
33.	एक नोट 500 रूपये का	2 RM 853856
34.	एक नोट 500 रूपये का	5 UE 035662
35.	एक नोट 500 रूपये का	8 UF 636039
36.	एक नोट 500 रूपये का	2 AC 179626

37.	एक नोट 500 रूपये का	7 GS 651703
38.	एक नोट 500 रूपये का	5 DN 007356
39.	एक नोट 500 रूपये का	5 BC 903804
40.	एक नोट 500 रूपये का	7 DN 704922
41.	एक नोट 500 रूपये का	3 DE 044993
42.	एक नोट 500 रूपये का	5 GA 781283
43.	एक नोट 500 रूपये का	1 WS 214511
44.	एक नोट 500 रूपये का	1 DA 540157

उपरोक्त पेशशुदा नोटों को गवाहान को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277 से मालखाने से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 22,000/–रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री धनश्याम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 22,000/–रूपये के नोट परिवादी श्री धनश्याम के बदन पर पहनी हुई शर्ट की बांयी साईड उपर अन्दर की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपीगण उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर ईशारा/सूचना करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी आवश्यक हिदायत दी गई साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद परिवादीगण एवं दोनो स्वतंत्र गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को ढक्कन बंद करवाकर श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. से वापस मालखाना में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने–अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। परिवादी श्री घनश्याम को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर (पैनड्राईव नुमा) को चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर वाईस रिकार्डर में लगे धागे से वाईस रिकार्डर को गले में लटकवाया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। समय 12:40 पी.एम. पर शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया गया। श्री राकेश सिंह कानि. 268 व कपिल सिंह कानि. 168 को सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14 LB 4230 से एवं श्याम सिंह कानि. 599 व श्री विष्णु सिंह कानि. 135 को श्याम सिंह कानि. की निजि मोटर साईकिल से एवं श्री केशव देव कानि. 600 व श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक को केशव देव कानि. की निजि मोटर साईकिल से तथा सहपरिवादी श्री बबलेश व दिनेश उर्फ गुड्डू को परिवादीगण की मोटर साईकिल से तथा सरकारी वाहन बोलरो नं RJ14 UB 0336 से मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय बृजेश कुमार कानि. 461, परिवादी श्री घनश्याम एवं स्वतंत्र गवाह श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक व ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277 को कार्यालय में बाद हिदायत छोडा जाकर रवाना होकर समय 02:00 पी.एम. पर गणेशम रेस्टोरेन्ट हिण्डौन के पास पहुंचा जहां पर आरोपीगण की उपस्थिति की मालुमात करने हेतु परिवादी घनश्याम के मोबाईल से आरोपीगण फोरेस्टर गार्ड सिकन्दर व राजेन्द्र के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो दोनो ने कॉल अटेण्ड नही किया। इस पर परिवादी ने बताया कि वो यही आस–पास घुमते रहते है। परिवादी के कथन पर गोपनियता को ध्यान में रखते हुए मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गणेशम रेस्टोरेन्ट हिण्डौन के पास से रवाना होकर जलसैन के पास देवरनिया का पुरा में स्थित स्कूल में पहुंच आरोपीगण के मोबाईल कॉल का इन्तजार किया। इसी दौरान आरोपी राजेन्द्र का परिवादी घनश्याम के मोबाईल पर कॉल आया जिस पर परिवादी ने

लाउड स्पीकर खोलकर वार्ता की तो आरोपी फोरेस्टर गार्ड ने अपने आप को ऑफिस में व्यस्त होना बताया। कुछ समय बाद सहपरिवादी बबलेश के मोबाईल से आरोपी फोरेस्टर गार्ड सिकन्दर के मोबाईल पर लाउड स्पीकर खोलकर कॉल करवाया तो आरोपी ने अपने आपको नादौती की तरफ यात्रा पर जाना बताया। समय 04:30 पी.एम. तक आरोपीगण का कोई फोन कॉल नही आने पर परिवादी घनश्याम व सहपरिवादी बबलेश के मोबाईलो से कॉल करवाये गये लेकिन आरोपीगण द्वारा कॉल रिसिव नही किया। परिवादीगण ने बताया कि हमे दो दिन हो गये और कपड़े भी नही बदले है, इस कारण हम घर जाना चाहते है, इस पर समय 04:30 पी.एम. पर परिवादी की पहनी हुई शर्ट की सामने की अन्दर की जेब में रखी हुई फिनोफ्थलीन युक्त रिश्वत राशि 22000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर कागज का लिफाफा तैयार करवाकर कागज के लिफाफा में रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह से रखवाई जाकर कागज के लिफाफा को सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में सुरक्षित रखवाया गया एवं परिवादी घनश्याम व सहपरिवादी बबलेश एवं दिनेश उर्फ गुडडू को हिदायत दी गई कि जब भी आरोपीगण का कॉल आये या आरोपीगण सम्पर्क करने की काशिश करे तो तुरन्त मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर सूचना देवे। परिवादीगण को बाद हिदायत रूकसत किया जाकर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि एवं सरकारी वाहन व मोटर साईकिलो के देवरनिया का पुरा स्कूल से रवाना होकर समय 05:50 पी.एम. पर ए.सी.बी. कार्यालय करौली पहुंचा, सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में सुरक्षित रखे कागज लिफाफा जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई है को स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव से निकलवाकर मालखाना की आलमारी में स्वतंत्र गवाह के मार्फत सुरक्षित रखवाया गया। समय 06:00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान को गोपनियता बनाये रखने हेतु निर्देश दिये जाकर हिदायत दी गई कि मन उप अधीक्षक पुलिस या कार्यालय द्वारा तलब करने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होवे। बाद हिदायत उक्त स्वतंत्र गवाहान को रूकसत किया गया। दिनांक 12.08.2022 को मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल पर परिवादी श्री घनश्याम ने कॉल कर बताया कि मैं और बबलेश लगातार फोरेस्ट गार्ड सिकन्दर व राजेन्द्र से सम्पर्क कर रहे है लेकिन वो टालमटोल कर रहे है। हमसे जब भी वो सम्पर्क करेगे या बुलायेगे तो तुरन्त आपको सूचित कर देगे। इस पर परिवादी घनश्याम को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 19.09.2022 को समय 10:50 से कुछ समय पूर्व मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल पर सहपरिवादी श्री बबलेश के मोबाईल से कॉल आया जिस पर सहपरिवादी ने बताया कि मेरी आज कुछ समय पूर्व राजेन्द्र फोरेस्ट गार्ड से बात हुई है वह मुझे हिण्डौन बाईपास पर बुला रहा था लेकिन मैने गांवड़ा मीना के पास नाहरघाटी में फैलीपुरा–कोटरी पालनपुर रोड़ पर मिलने के लिए कहा है। राजेन्द्र फोरेस्ट गार्ड दिन में करीब 1:30 पी.एम. पर रूपये लेने आयेगा आप अपनी टीम को लेकर आ जाना मैं और घनश्याम आपको वही आस–पास मिल जायेगे। इस पर सहपरिवादी श्री बबलेश को आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त सूचना पर समय 10:55 ए.एम. पर श्री केशव देव कानि. को ट्रेप कार्यवाही के पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान को तलब करने हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करौली के लिए रवाना करने पर समय 11:20 ए.एम. पर श्री केशव देव कानि. ट्रेप कार्यवाही के पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक को हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया। स्वतंत्र गवाहान को सहपरिवादी श्री बबलेश के मोबाईल कॉल के बारे में अवगत कराया गया। समय 11:30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने कार्यालय के मालखाना की आलमारी में दिनांक 02.08.2022 को ट्रेप कार्यवाही की लिफाफा में फिनोफ्थलीन युक्त रिश्वत राशि 22,000 रूपये रखवाई हुई को लिफाफा सहित निकलवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से दिनांक 02.08.2022 को कार्यालय में तैयार कर गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहूं होना पाये गये जिस पर उक्त रिश्वत राशि को पूर्वानुसार लिफाफा में रखवाकर श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. के पास सुरक्षित रखवाये जाकर आवश्यक हिदायत दी गई एवं मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. व शेष ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। समय 12:05 पी.एम. पर कार्यालय में श्री बृजेश कुमार कानि. चालक को बाद हिदायत छोड़ा जाकर श्री केशव देव कानि. व विष्णु सिंह कानि. को सरकारी मोटर साईकिल से एवं श्री श्याम सिंह कानि. व श्री राकेश सिंह कानि. को स्वयं की अलग–अलग निजी मोटर साईकिल से तथा सरकारी वाहन की पहचान होने से ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता को देखते हुए मन उप अधीक्षक पुलिस की निजि ब्रेजा कार नं. RJ 45 CG 0609 को ट्रेप कार्यवाही में हेतु उपयोग में लेने हेतु निर्णय लिया जाकर निजि कार से मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय श्री स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक व श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. के मय वैध लाईसेंस धारक श्री बृजेश कुमार कानि. मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, वाईस रिकार्डर, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के सहपरिवादी की मोबाईल फोन की सूचना पर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर रास्ते में परिवादी श्री घनश्याम से जरिये मोबाईल हुई वार्ता अनुसार

समय 01:20 पी.एम. पर नाहरघाटी (गांवड़ा मीना), फैलीपुरा–कोटरी पालनपुर रोड़ पर पहुंचा, जहां परिवादी श्री घनश्याम मन उप अधीक्षक पुलिस की निजी कार के पास उपस्थित आया और उसने बताया कि मेरी बबलेश से मोबाईल पर बात हुई है उसके पास अभी राजेन्द्र फोरेस्ट गार्ड आने वाला है और करीब 30–40 मिनट में पास ही स्थित रमेश मीना की दुकान पर आ जायेगे। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देश पर हमराह श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. द्वारा अपने पास से कागज का लिफाफा निकालकर उसमें रखी हुई रिश्वत राशि 22,000/–रूपये को परिवादी श्री घनश्याम की पहनी हुई शर्ट की दांयी तरफ अन्दर की जेब में गोपेन्द्र सिंह कानि. से रखवाये जाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई एवं श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. को खाली लिफाफा को नस्ट करने की हिदायत देकर ब्यूरो चौकी करौली के लिए रवाना किया गया। परिवादी श्री घनश्याम को वाईस रिकार्डर चालू करने की विधि समझाकर वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया गया। परिवादी को आरोपी के आने वाले स्थान पर पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया एवं ट्रेप पार्टी को परिवादी श्री घनश्याम के बताये स्थान व ईशारे के बारे में अवगत कराया जाकर आस–पास ही अपनी पहचान छिपाने की हिदायत कर रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस व ट्रेप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के नियत ईशारे की प्रतिक्षा कर रहे थे कि समय 01:55 पी.एम. पर दुकानों के बाहर से परिवादी श्री घनश्याम का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के उक्त दुकानों के बाहर पहुंच परिवादी श्री घनश्याम से वाईस रिकार्डर प्राप्त किया व पूछने पर घनश्याम ने बताया मेने वाईस रिकार्डर रिश्वत लेन--देन होने के बाद बन्द कर दिया है। बन्द हालत में वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया व परिवादी ने पास ही खडे हुये व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि ये ही राजेन्द्र सिंह फोरेस्ट गार्ड है जिसने दिनांक 01.08.2022 को हुई वार्तानुसार एल.एन.टी. व ट्रेक्टरो के खिलाफ कार्यवाही नही करने व परेशान नही करने के लिए मेरे से अभी–अभी 22000 हजार रुपये प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिने जेब में रख लिये है इस पर पास ही खडा हुआ व्यक्ति घबरा गया जिस पर उक्त व्यक्ति को अपना व पार्टी का परिचय देकर तसल्ली पूर्वक ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया जाकर नाम पता व पद पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम पता व पद राजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर, उम्र 41 वर्ष, निवासी बडागांव, पुलिस थाना सलेमपुर, तहसील महवा, जिला दौसा हाल वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज मण्डरायल जिला करौली होना बताया। इससे पूर्व वनरक्षक के पद पर नाका फैली का पुरा (हिण्डौन) में पदस्थापित था और दिनांक 06.09.2022 को स्थानान्तरण पर कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज मण्डरायल में उपस्थिति दी है। आरोपी ने पूछने पर बताया कि करीब डेढ महिने पहले में बाहर था उस दिन सिकन्दर सिंह वन रक्षक का मेरे मोबाईल पर फोन आया व बताया कि घनश्याम व बबलेश आये है इनकी एल.एन.टी. व ट्रेक्टर के खिलाफ कार्यवाही नही करने के लिए मैने सिकन्दर को इनसे कुल 23000/–रूपये लेने के लिए कहा था। सिकन्दर के फोन से मेरी घनश्याम व बबलेश से भी रूपयो के सम्बन्ध में बात हुई थी। इसके बाद दूसरे दिन मेरे पास इनका फोन आया लेकिन मैं उस समय रेंज ऑफिस हिण्डौन में राजकार्य में व्यस्त था। इसके बाद भी मेरे पास इनके फोन आते थे लेकिन मिलना नही हुआ, 2–3 दिन से इनका मेरे पास फोन आ रहा था लेकिन मैं बाहर था। आज सुबह मेरी बबलेश से मोबाईल पर बात हुई तो इन्होने मुझे मिलने के लिए कहा तो मैने हिण्डौन बाईपास पर मिलने की कहा, इस पर बबलेश ने कहा कि हमें टाईम नही है आप मोठियापुरा–कोटरी पालनपुर–फैलीपुरा रोड़ पर आ जाना। इस पर मैने दोपहर के 1–2 बजे तक आने का कह दिया। मैं आज अपनी मोटर साईकिल से आ रहा था तो रास्ते में मुझे बबलेश मिल गया जिसने बताया कि घनश्याम रूपये लेकर नाहरधाटी में दुकान पर है। इस पर मैं और बबलेश अपनी–अपनी मोटर साईकिलो से घनश्याम के पास आ गये यहां पर घनश्याम मिल गया जिसने मुझे 500–500 रूपये के नोट कुल 22,000 रूपये दिये जिनको मैने दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दांयी जेब मे रख लिये है। रूपये अभी मेरी जेब में रखे हुए है। मैने और सिकन्दर सिंह ने ही घनश्याम और बबलेश से रूपयो के सम्बन्ध में बात की थी, हमारे साथ विजेन्द्र नही था। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) से सिकन्दर सिंह वनरक्षक के बारे में मालुम किया तो उसने बताया कि आज सिकन्दर सिंह भरतपुर गया हुआ है जहां वनकर्मियो द्वारा भरतपुर में घना पर अपनी मांगो के समर्थन में धरना प्रदर्शन है इस पर श्री महेश मीना अति0 पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. भरतपुर से जरिये मोबाईल वार्ता कर ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर आरोपी सिकन्दर सिंह वनरक्षक को डिटेन करने हेतु निवेदन किया गया। आरोपी राजेन्द्र सिंह को उक्त स्थान से मय रिश्वत राशि के पकड़ा जाकर मौके पर कार्यवाही करने का उचित स्थान नहीं होने के कारण हमराह निजी वाहन मय सरकारी मोटर साईकिल व निजी मोटर साईकिलो व आरोपी की मोटर साईकिल को साथ लेकर समय 02:30 पीएम पर सरकारी कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जे.वी.वी.एन.एल., जी.एस. एस. खेडा पहुंच कार्यालय मे मौजूद कनिष्ठ अभियन्ता को परिचय देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध कराने हेतु कहा जिस पर प्रथम तल पर बने कनिष्ठ अभियन्ता चेम्बर कार्यवाही हेतु

उपलब्ध कराया। उक्त कमरा में आरोपी को तसल्लीपूर्वक कुर्सी पर बिठाया व ट्रेप कार्यवाही के बारे में पुनः पूछने पर आरोपी चुप हो गया। इसके बाद श्री महेश मीना अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल अवतग कराया कि जाप्ता को भिजवाकर आरोपी को घना भरतपुर में चल रहे वनकर्मियो के धरनास्थल पर तलाश करवाया तो वनकर्मी काफी संख्या में एकत्रित थे जिस पर आरोपी मौके पर भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसे आस पास तलाश करवाया लेकिन नही मिला। इसके पश्चात निजी वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर स्वतंत्र गवाह पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक से ट्रेप बॉक्स में से स्टील के कटोरा निकलवाकर साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ धुलवाकर स्टील के कटोरा में साफ पानी भरवाकर ट्रेप बॉक्स में सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा व चम्मच निकलवाकर स्टील के कटोरा में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) के दाहिने हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात स्टील के कटोरा को पुनः स्वतंत्र गवाह पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक से साफ पानी व साबुन से धुलवाकर स्टील के कटोरा में साफ पानी भरवाकर पुर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जिसे हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) के बाये हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) को प्राप्त की गई रिश्वत राशि 22,000 रूपये पेश करने की कहने पर आरोपी स्वयं ने अपने दाये हाथ से अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के नोट निकालकर पेश किये जिनको सीधे ही स्वतंत्र गवाह श्री पंकज शर्मा को दिलवाये जाकर गिनवाये तो स्वतंत्र गवाह ने उक्त 500-500 के 44 नोट कुल 22,000 रूपये होना बताया। इस पर उक्त रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान ए.सी.बी. कार्यालय करौली में दिनांक 02.08.2022 को तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये, जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाकर नम्बरी रिश्वत राशि 22,000 रूपये को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान के दोनो हाथ अच्छी तरह साबुन-पानी से साफ करवाये गये। इसके पश्चात आरोपी राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) को स्वयं के गले की तौलियां को कमर पर लपेटकर अपनी पहनी हुई पेन्ट को उतार कर पेश करने की कहने पर आरोपी ने तौलिया लपेटकर कर अपनी पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश किया जिसकी सामने की दांयी जेब को छोडकर स्वतंत्र गवाह ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक से तलाशी लिवाई तो पेन्ट की पीछे की दायी तरफ की जेब में पर्स, सामने की बांयी जेब में एक मोबाईल एनरॉईड एम.आई. कम्पनी का व रूमाल मिले जिनको टेबल पर सुरक्षित रखवाया गया। इसके पश्चात स्टील के कटोरा को स्वतंत्र गवाह ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक से साफ पानी व साबुन से धुलवाकर स्टील के कटोरा में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में आरोपी राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) के पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को स्वतंत्र गवाह ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक से उलटवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त पेन्ट (क्रीम कलर) को जाप्ता निगरानी में धूप में सुखवाया जाकर पेन्ट के जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को कपड़े की थैली में रखवाकर सीव्ड मोहर करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) ने परिवादी की एल.एन.टी. व ट्रेक्टर से सम्बन्धित कोई कार्यवाही पैण्डिग नही होना बताया। मन पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी व परिवादीगण के मध्य रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई, वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवादीगण व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन-देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादीगण व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल

पत्रावली की गई। समय 04:30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के आरोपीगण के सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु श्रीमान उप वन संरक्षक करौली को पृथक से पत्र जारी किया गया एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही वक्त हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि आरोपी राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) के रिश्वत राशि के अलावा पहनी हुई की पेन्ट की तलाशी में पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में मिले पर्स जिसको स्वतंत्र गवाह श्री पंकज शर्मा से चैक करवाया गया तो पर्स में 762 रूपये नगद, स्वयं का विभागीय परिचय पत्र, स्वयं का एस.बी.आई. बैंक का ए.टी.एम. कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र आदि मिले, उक्त 762 रूपये आरोपी ने स्वयं के जेब खर्च के होना बताया। उक्त पर्स में मिले रूपयो में से आरोपी के कहे अनुसार 200 रूपये निकालकर स्वतंत्र गवाह से दुकान से पाजामा मंगवाकर पहनाया गया। शेष 562 रूपये पुनः पर्स में सुरक्षित रखे गये। ब्यूरो चौकी से तलब शुदा श्री बृजेश कुमार कानि. चालक मय सरकारी वाहन बोलेरो के उपस्थित जी.एस.एस. खेड़ा पर उपस्थित आया। समय 04:55 पी.एम. पर आरोपी एवं शील्डशुदा आर्टिकल्स मय ट्रेप बाक्स आदि उपकरणों के ट्रेप पार्टी की निगरानी में जी.एस.एस. खेड़ा में छोडा जाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी घनश्याम व सहपरिवादी श्री बबलेश मय स्वतन्त्र गवाहान एवं श्याम सिंह कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक बृजेश कुमार कानि. के जी.एस.एस. खेड़ा से रवाना होकर समय 05:20 पी.एम. पर घटना स्थल फैलीपुरा–कोटरी पालनपुर रोड़, नाहरघाटी (गांवड़ा मीना) पर स्थित श्री रमेश मीणा की दुकानों पर पहुंचा हूं, जहां पर आरोपी राजेन्द्र सिंह वनरक्षक द्वारा परिवादी श्री घनश्याम से रिश्वत राशि प्राप्त की गई, घटनास्थल का परिवादीगण की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निरीक्षण घटनास्थल किया जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। घटना स्थल से रवाना शुदा मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी गण के समय 06:10 पी.एम. पर जी.एस.एस. खेड़ा पहुंचा। आरोपी राजेन्द्र सिंह वनरक्षक की निवास की खाना तलाशी लेने हेतु दौरान कार्यवाही ब्यूरो के उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया था, जिस पर ब्यूरो चौकी दौसा द्वारा आरोपी के निवास की तलाशी लिये जाने की सूचना जरिये मोबाईल प्राप्त हो चुकी है। आरोपी ने स्वयं को गांव से ड्यूटी पर आना जाना बताया। समय 07:50 पी.एम. पर आरोपी राजेन्द्र सिह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.सं. में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 08:50 पी.एम. पर श्री केशव देव कानि. व श्री विष्णु सिंह कानि. को मय गिरफ्तार शुदा अभियुक्त राजेन्द्र सिंह वनरक्षक के सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक व स्वतंत्र गवाह श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक के जिला चिकित्साल करौली व कोतवाली करौली के लिए रवाना किया गया तथा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ड्यूटी ऑफिसर जिला चिकित्साल करौली के पदनाम से व कार्यालय में बन्दीगृह की सुविधा की उपलब्ध नही होने के कारण थानाधिकारी कोतवाली करौली के पदनाम से पृथक–पृथक तहरीर सुपुर्द की गई। समय 08:55 पी.एम. पर श्री राकेश सिंह कानि. मय स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक को सरकारी मोटर साईकिल से तथा श्री श्याम सिंह कानि. को स्वयं निजि मोटर साईकिल से तथा मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री घनश्याम, सहपरिवादी श्री बबलेश व श्री बृजेश कुमार कानि. मय बरामद शुदा शील्ड नम्बरी रिश्वती राशि 22,000 रूपये व जप्त/शील्डशुदा शीशी मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, P–1, P–2 व शील्ड पैकेट मार्क P वजह सबूत के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के निजि वाहन से जी.एस.एस. खेड़ा (हिण्डौन सिटी) से रवाना होकर समय 09:40 पी.एम. पर कार्यालय पहुंचा, ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्ड शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 22,000/–रू., धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, P–1, P–2 व शील्ड पैकेट मार्क P को जमा मालखाना करवाया गया। कार्यालय उप वन संरक्षक करौली के पत्र क्रमांक एफ ( ) कार्मिक/उवसं/2022–23/5938 दिनांक 19.09.2022 के संलग्न अभियुक्तगण का सेवा विवरण प्राप्त हुआ। समय 10:00 पी.एम. पर श्री केशव देव कानि., श्री विष्णु सिंह कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के हाजिर कार्यालय आये व बताया कि आपके निर्देशानुसार जी.एस.एस. खेड़ा हिंडौन से सरकारी वाहन बोलेरो से मय गिरफ्तार शुदा अभियुक्त राजेन्द्र सिंह वनरक्षक के रवाना हो जिला चिकित्यालय करौली पहुंच अभियुक्त का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण के जिला चिकित्सालय करौली से रवाना हो पुलिस थाना कोतवाली करौली पहुंच अभियुक्त को बन्द हवालात करवाकर कोतवाली करौली से रवाना हो हाजिर कार्यालय आये है। समय 10:05 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को दोनो स्वतत्रं गवाहान एवं परिवादी व सहपरिवादी के समक्ष कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर (acerकम्पनी) से वाईस रिकार्डर को कनेक्ट करवा वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेन देन वार्ता को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया

गया व कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता की 3 DVD (SONY कम्पनी) क्रमश–मूल प्रति, मुल्जिम प्रति एवं आई.ओ. प्रति तैयार करमार्क "B" अंकित कर DVD पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर डेस्कटॉप पर सेव उक्त रिकार्ड वार्ता को परिवादी व सहपरिवादी की उपस्थिति में टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी श्री घनश्याम व सहपरिवादी श्री बबलेश एवं अभियुक्त राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) के मध्य हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 19.09.2022 की गवाहान की मौजूदगी में परिवादी व सहपरिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा मूल व मुल्जिम प्रति DVD को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लियागया एवं आई.ओ. प्रति DVD को कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर खुला रखा गया। समय 11:40 पी.एम. पर मूल व मुल्जिम प्रति शील्ड DVD मार्क B कुल 2 को जमा मालखाना करवाया गया। समय 11:50 पी.एम. ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 21 को परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 20.09.2022 को समय 00:10 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री ओमप्रकाश जाटव कनिष्ठ सहायक को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही के रूकसत किया गया एवं परिवादी श्री घनश्याम व सहपरिवादी श्री बबलेश को रूकसत किया गया तो परिवादीगण ने बताया कि अभी रात्रि है हम गांव नही जा सकते, सुबह आपके कार्यालय से रवाना हो जायेगे। इस पर स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत की गई।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त राजेन्द्र सिंह, वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड), वनपाल नाका फैलीपुरा (हिण्डौन) हाल कार्यालय क्षेत्रिय वन अधिकारी, रेंज मण्डरायल, जिला करौली एवं सिकन्दर सिंह सेजवाल वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) द्वारा आपस में मिली भगत कर स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री घनश्याम से उसकी L N T मशीन को चलाने व परेशान नही करने की एवज में मासिक बंधी के शेष 5000 रूपये व सहपरिवादी श्री बबलेश के ट्रेक्टरो पर कार्यवाही नही करने की एवज में 8000 रूपये व परिवादीगण के गांव के गुड्डू द्वारा टेक्टर भगाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही नही करने की एवज में 10,000 रूपये कुल 23000 रूपये की रिश्वत मांग कर वक्त सत्यापन दिनांक 01.08.2022 को आरोपी सिकन्दर द्वारा 1000 रूपये प्राप्त कर शेष 22,000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग की अनुशरण में दिनांक 19.09.2022 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो अभियुक्त राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) द्वारा स्थानान्तरण होने के पश्चात भी परिवादीगण से पूर्व मांगी गई रिश्वती राशि प्राप्त करने हेतु श्री रमेश मीणा निवासी गांवड़ा की नाहरघाटी फैलीपुरा–कोटरी पालनपुर रोड़ पर स्थित दुकानों के बाहर बरामदा में पहुंच कर परिवादी श्री घनश्याम से रिश्वत राशि 22,000/–रूपये प्राप्त करने पर ए.सी.बी. टीम द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) को पकड़ा जाकर मौके पर कार्यवाही करने का उचित स्थान नही होने के कारण सरकारी कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जे.वी.वी.एन.एल., जी.एस.एस. खेडा पहुंच अभियुक्त की हाथ धुलाई करवाई जाकर आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब से अभियुक्त द्वारा निकालकर पेश करने पर रिश्वत राशि जप्त कर अभियुक्त राजेन्द्र सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सिकन्दर सिंह वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) के भरतपुर जाने से ब्यूरो टीम भरतपुर द्वारा तलाश करवाया गया लेकिन आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। अतः अभियुक्त 1. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह, जाति गुर्जर, उम्र 41 वर्ष, निवासी बडागांव, पुलिस थाना सलेमपुर, तहसील महवा, जिला दौसा, वनरक्षक वनपाल नाका फैली का पुरा (हिण्डौन) हाल वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज मण्डरायल जिला करौली एवं 2. सिकन्दर सिंह सेजवाल पुत्र श्री किशन सिंह, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम वनवारीपुर, पोस्ट श्री महावीरजी, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली हाल वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अमर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
करौली (राज॰)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह, वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज मण्डरायल जिला करौली एवं 2. श्री सिकन्दर सिंह सेजवाल पुत्र श्री किशन सिंह, वनरक्षक (फोरेस्ट गार्ड) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 371/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.09.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3220-24 दिनांक 20.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रटाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, वन विभाग, करौली।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।